न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 57 / 2023

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री चम्पालाल पुत्र भीमराज जाति खत्री निवासी सुन्दर नगर चौहटन जिला बाड़मेर (मैसर्स चंदन एजेन्सी, चौहटन जिला बाड़मेर का मालिक)
2. श्री अशोक कुमार संकलेचा पुत्र नेमीचंद निवासी जुना किराडू, जिला बाडमेर (मैसर्स संकलेचा ब्रदर्स, कृषि मण्डी, बाडमेर का मालिक)
3. श्री यशवंत पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी निवासी 170, ए भोपत भवन, अग्रवाल टावर की गली, 1बी मार्ग, सरदारपुरा जोधपुर (मैसर्स सांवरिया इंटरनेशनल, ई11 / 10 कृषि मण्डी , मण्डोर, जोधपुर का फर्म मालिक)
4. श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र गोपाल दास निवासी 97–98, जमुना एनक्लेव भौलाई, मुहम्मदपुर रामबाग, युमना ब्रिज, आगरा, उतरप्रदेश (मैसर्स आर. एम. डेयरी प्रोडेक्ट एलएलपी खसरा 344–345 / 2 गौंडा इगलास रोड़, सलेमपुर हसनगढ जिला अलीगढ, उतरप्रदेश का फर्म नोमिनी)
5. मैसर्स आर.एम. डेयरी प्रोडेक्ट एलएलपी खसरा 344–345 / 2 गौंडा इगलास रोड़, सलेमपुर हसनगढ जिला अलीगढ, उतरप्रदेश

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचंद जांगिड़, अप्रार्थी संख्या 2, 4 एवं 5 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स चंदन एजेन्सी, चौहटन जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **03.03.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (रामसंस ब्राण्ड)** जो कि 10 पैकेट एक लकडी की रैंक में रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **घी (रामसंस ब्राण्ड)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1887** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (रामसंस ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (रामसंस ब्राण्ड)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के

निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के यहां किसी प्रकार के घी की सेंपलिंग नहीं की गई और न ही विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेंपलिंग की कार्यवाही की गई है। अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.03.2023** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के यहां किसी प्रकार के घी की सेंपलिंग नहीं की गई और न ही विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेंपलिंग की कार्यवाही की गई है। अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **अवमानक** पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 पर संयुक्त रूप से रूपये 40,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 60,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 पर रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चौहान)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर